न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 18/2021 **दायर दिनांकः 21/06/2021**

उनवान

1. बाबूलाल आयु 63 वर्ष पुत्र बाला जाति मेघवाल निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारा हाल निवासी नयापुरा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थीः–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल छजावा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 54 का ख0नं0 120 का रकबा 0.06 है0, ख0 नं0 121 का रकबा 2.60 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.66 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबंदी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का घर पर बोलता नाम गोपाल होने के कारण प्रार्थी का नाम बाबूलाल के स्थान पर गोपल व प्रार्थी के पिता का नाम बाला के स्थान पर बाल्या गलत दर्ज कर दिया तथा जाति चमार दर्ज है। प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र , पेन कार्ड, ग्राम पंचायत बराना के प्रमाण में प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल व उसके पिता का नाम बाला दर्ज है। इसलिए प्रार्थी नाम गोपाल के स्थान पर सही नाम बाबूलाल तथा पिता का नाम बाल्या के स्थान पर बालादर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम गोपाल के स्थान पर सही नाम बाबूलाल व उसके पिता का नाम बाल्या के स्थान

पर बाला व जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी व उसके पिता का नाम व जाति सही दर्ज नही किये गये तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी नाम गोपाल के स्थान पर सही नाम बाबूलाल व पिता का नाम बाल्या के स्थान पर बाला व जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम गोपाल के स्थान पर सही नाम बाबूलाल व उसके पिता का नाम बाल्या के स्थान पर बाला व जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल छजावा की आराजी खाता संख्या 54 की कुल किता 2 का रकबा 2.66 है0 में प्रार्थी का नाम गोपाल व उसके पिता का नाम बाल्या दर्ज है। जिसे दुरूस्त करवाकर प्रार्थी का नाम गोपाल के स्थान पर बाबूलाल व उवके पिता का नाम बाल्य के स्थान पर बाला तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जावें।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम छजावा संवत् 2074–2077 में सहखातेदार के रूप में गोपाल पुत्र बाल्या हिस्सा 2/3 जाति चमार दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग का पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम बाबु लाल व उसके पिता का नाम बाला दर्ज है। ग्राम पंचायत बराना के प्रमाण पत्र दिनांक

16.06.2021 के अनुसार प्रार्थी का नाम गोपाल उर्फ बाबूलाल पुत्र बाल्या जाति चमार (मेघवाल) निवासी गोरधनपुरा का रहने वाला है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 54 का ख0नं0 120 का रकबा 0.06 है0, ख0 नं0 121 का रकबा 2.60 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.66 है0 में सहखातेदार गोपाल के स्थान पर गोपाल उर्फ बाबु लाल व उसके पिता का नाम बाल्या के स्थान पर बाला तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां